

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 543 /12-1

नई टिहरी, दिनांक- 09/09/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 कि०मी०+02न० सेतु) सहित 4.41 है० का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी०/06/43/2020/एफ०सी०/770, दिनांक:-29-07-2020।

महोदय,

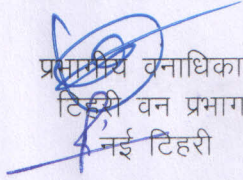
प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिसका निराकरण निम्नप्रकार प्रेषित है:-

S. No.	Shortcomings	Clarification/reply
1	In reply to point No. 01, the copy of the authority letter is uploaded at para A-3 (xvii) of Part I. the authority letter has been issued by Shri Rohit Srivastava, Asstt. Engineer authorizing himself only for making online application. State Government may submit/upload authority letter issued by the competent authority.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Authority letter. Competent Authority से हस्ताक्षर करवाकर Upload कर दिया गया है जो चार प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।
2	Regarding Point No. 02 & 03 of EDS. State Government may provide information about approval, if any, obtained under FCA by PWD for construction of initial 3.00 KM road.	उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० घनसाली ने पत्रांक संख्या-774/10 एम०जी०, दिनांक-17-08-2020 द्वारा सूचित किया है कि 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग स्टेज-प्रथम का निर्माण कार्य पूर्व में ही किया जा चुका है। 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग का पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०-1 में प्रस्तावित 10.05 कि०मी० मोटर मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त पत्र की चार छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	बिन्दु क्र० 04 का उत्तर संतोषप्रद नहीं है। प्रस्तावित ग्रामों में से अनेक ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। समस्त ग्रामों को एक नये मार्ग से जोड़ना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः राज्य सरकार जो ग्राम मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुये हैं, उन्हें Shortest distance से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण में प्रस्तावित ग्रामों समीपवर्ती मोटर मार्ग से पैदल दूरी अधिक होने के कारण बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय उपचार, छात्रों को विद्याअर्जन, ग्रामीणों को बैंक, पोस्ट ऑफिस, पंचायत भवन एवं आजीविका आदि मूलभूत सुविधा के लिये अधिक पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। जिसमें उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

		अतः ग्रामीणों के अनुरोध पर मोटर मार्ग का प्रस्तावित संरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण पर वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने Justification प्रस्तुत किया गया है जो चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	In reply to point no.10 it is mentioned that the density is 0.6 but the some has not been corrected at para-4(i) of Part-II where the density is still mentioned as 0.3. State Government may fill the correct information of density at para 4 in part-ii	हरियाली के घनत्व को संशोधित कर para-4 in Part-II में 0.6 अंकित कर दिया गया है।
5	In reply to point No.14, it is mentioned that the District Profile is uploaded at S.No 04 of additional information in part-II. But the District Profile uploaded is still not signed by DFO. Further, the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, CA stipulated would normally be double of the area of forest land diverted [4632.93 (4753,37-120.44) i.e double of 4632.93 ha and State Government is required to clarify the disparity, if any.	The area of forest diverted includes proposals below 1.00 ha. some of CA areas against land transferred were done in U.P. State before year 2000.

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

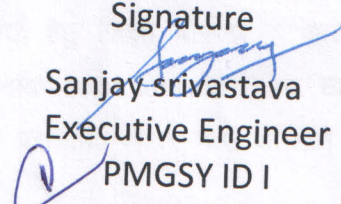

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

प्रपत्र - 1

Mr. Rohit Srivastava (Assistant Engineer) P.M.G.S.Y ID -I is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Ghansali Akhori M/R KM. 18 To Saruna Kot Chanji Motar Road 10.05 Km Forest Land 4.410 Hac Transfer Proposal of The Rural Development Department on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on the behalf of Executive Engineer P.M.G.S.Y Irrigation Division -1, New Tehri (T.G.)

Date 20-08-2020

Signature


Sanjay srivastava
Executive Engineer
PMGSY ID I
New Tehri



P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- <http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR



Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :- eeepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :- 774/10258 जी०

दिनांक- 17/08/2020

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार।

प्रेषित,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी।

विषय :-

घनसाली- अखोड़ी के कि०मी०-8 सरुणा-कोट-चौजी मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक संख्या-1138/ पीएमजीएसवाई सि०ख०-1, वनभूमि, दिनांक- 06.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वर्णित मोटर मार्ग में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम 02 कि०मी० लम्बाई हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 4248(1)।।(2)/ 11-65(प्रा०आ०) / 2011, दिनांक-23.12.2011 एवं तीसरे कि०मी० की लम्बाई हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी के पत्रांक-04/रा०यो०आ०/ जि०यो०/2017-18, दिनांक-30.06.2018 द्वारा इस खण्ड में प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध कुल 03 कि०मी० लम्बाई में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के आगे के भाग की कार्यवाही अब आपके खण्ड द्वारा की जानी है।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

(इ० डी० सी० नोटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ.ख., लो.नि.वि., घनसाली,

पत्रांक

/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-

01

अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

02

सहायक अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,

Justification

कार्य का नाम:- घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.05 किमी) के संरेखण का दिनांक 19-08-2020 को पी०एम०जी०एस०वाई० के अपर सहायक अभियन्ता शम्भू प्रसाद बिजलवाण, राजस्व उपनिरीक्षक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम सभा चौंरा के कुखरियास तोक (जनसंख्या 90), करखेड़ी गांव के अधिकांश परिवार, कोट गांव, धणात गांव, गंगवाड़ी तल्ली (हरिजन बस्ती) एवं चांजी तल्ली ग्रामों की समीपवर्ती मोटर मार्ग से पैदल दूरी अधिक है। जिस कारण इन ग्रामीणों को चिकित्सालय, विद्यालय, पंचायत भवन, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं आजीविका आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए अत्यधिक पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। बसावट/तोक की समीपवर्ती मोटर मार्ग से पैदल दूरी का विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	नाम	कोड	जनसंख्या	समीपवर्ती मोटर मार्ग से वर्तमान पैदल दूरी
1.	चौंरा	288000	279	2.00 कि०मी०
2.	करखेड़ी	289800	600	1.50 कि०मी०
3.	कोट	291400	278	2.10 कि०मी०
4.	गंगवाड़ी	293100	447	3.00 कि०मी०
5.	चांजी तल्ली	293300	578	1.60 कि०मी०

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० I
नई टिहरी

राजस्व उपनिरीक्षक
त०-घनसाली
जिला - टि० ग०

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० I
नई टिहरी

वै०डी०ओ०
खण्ड विकास अधिकारी
भिलंगना, टिहरी गढ़वाल

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० I
नई टिहरी

ब्लॉक प्रमुख
चौंरा (वि०-क०)

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी